



नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका
मार्च 2025



नगर पालिक निगम भिलाई



जिला कलेक्टर द्वारा उपचुनाव में नवनिर्वाचित पार्षद को शपथ दिलाई गई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रं. 24 में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यासी प्रदीप कुमार सेन विजयी घोषित हुए थे। आज 3 मार्च 2025 को नवनिर्वाचित पार्षद प्रदीप कुमार सेन को निगम भिलाई के सभागार में कर्तव्य, निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी द्वारा दिलाई गई। तत्पश्चात नवनिर्वाचित पार्षद द्वारा हस्ताक्षर किया गया। शपथ ग्रहण के दौरान भिलाई निगम सभापति गिरवर बंटी साहू, जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, पार्षद एवं पूर्व भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष महेश वर्मा, पार्षद एवं पूर्व सभापति श्याम सुन्दर राव, पीयूष मिश्रा, नोहर वर्मा, मुकेश अग्रवाल, विनोद सिंह, श्रीमती विणा चंद्राकर, स्मृता दोड़के, ईश्वरी नेताम, सरिता बघेल, वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर लाल देवांगन, आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, उपायुक्त नरेन्द्र बंजारे, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, सतीश यादव, अमरनाथ दुबे आदि सभी ने उपस्थित होकर नवनिर्वाचित पार्षद प्रदीप कुमार सेन को शुभकामना दी। अंत में राष्ट्रगान के साथ समापन किया गया।



नगर पालिक निगम भिलाई



15 करोड़ की लागत से 17 एकड़ में भव्य एवं आकर्षक स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण होगा-भिलाई।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के हृदय स्थल जी.ई. रोड के समीप प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम में 15 करोड़ की लागत से 17 एकड़ में बनेगा स्पोर्ट्स परिसर। जो पूरी तरह से आधुनिक होगा, यहां पर हार्स राईडिंग, स्वीमिंग पूल, स्केटिंग ट्रेक, रनिंग ट्रेक, 400 लोगों के बैठने लायक आडिटोरियम, पार्किंग, दुकान, बाउण्ड्रीवाल सजावट लाइटिंग इत्यादि के साथ निर्माण प्रस्तावित है। जिसका भव्य गेट नेशनल हाईवे 53 से लगा हुआ होगा। आज जिला कलेक्टर सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय को लेकर पहुंची। उपस्थित निगम के अभियंताओं से पूरी विस्तृत जानकारी ड्राईंग एवं डिजाइन के साथ प्राप्त की। कहां से कहां तक रनिंग ट्रेक, स्वीमिंग पूल, आडिटोरियम, हार्स राईडिंग, स्केटिंग ट्रेक, पार्किंग, दुकान, बाउण्ड्रीवाल के प्रस्तावित स्वरूप के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

जिला कलेक्टर का सुझाव था कि इस प्रकार का निर्माण हो, जिससे इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। हमारे जिले से राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विजयी होकर निकले और राज्य एवं देश का नाम रोशन करें। यहां पर भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो सके।

वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके द्वारा इस प्रकार का बहु उपयोगी स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण करने का सुझाव दिया गया था। जिसके उपर निगम आयुक्त द्वारा अपने विभागीय जोन आयुक्त एवं अभियंताओं से विचार-विमर्श किया गया। उसके बाद परिसर को अपने स्वरूप के साथ प्रस्तावित किया गया। जिला कलेक्टर के पास प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा खनीज एवं न्यास मद से हार्स राईडिंग एवं स्केटिंग ट्रेक बनाने के लिए राशि की स्वीकृति मिल गई है। शेष खेल के लिए प्रोजेक्ट बनाकर जिला प्रशासन एवं शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही बाकी का काम भी शुरू हो जाएगा।

निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, उपभियंता बसंत साहू, प्रभारी सहायक अभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा, चंदन निर्मलकर आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



नवीन क्यू आर बेस्ड डी डी एन एवं निदान एप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सभागार में नवीन क्यू आर बेस्ड डी डी एन एवं निदान एप का प्रशिक्षण सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं शहरी अजीविका मिशन की सहायिकाओं को दिया गया। के द्वारा किस प्रकार से नगर की स्वच्छता, अवैध निर्माण, जल आपूर्ति, लाईट कनेक्शन, नल कनेक्शन, उद्यान, निर्माण आदि जरूरतों का निदान किस प्रकार से होगा। प्रशिक्षक गोपाल द्वारा प्रशिक्षण में बताया गया कि सर्व प्रथम एप इस लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.entitcs.bhilai_app में जाकर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद संबंधित व्यक्ति स्थल का फोटोग्राफ/वीडियो लोकेशन के साथ भेज देगा। उसमें जगह, तिथि, समय, वार्ड नं., जोन क्रं., लोकेशन के साथ दर्ज हो जाएगा। सफाई से संबंधित प्रथम सूचना जोन के वार्ड सुपरवाइजर के पास आएगा। वह 24 घंटे में निदान करके फोटोग्राफ गुप में डालेगा। 24 घंटे के बाद निदान नहीं होने पर यह जानकारी जोन के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। 24 घंटे के अंदर वहां से निदान न होने पर यह जोन आयुक्त एवं निगम आयुक्त के पास पहुंच जाएगा। उससे पता चल जायेगा कि संबंधित स्थल का कार्य हुआ कि नहीं सभी की जवाबदेही निर्धारित हो जायेगी। समय अवधि में कार्य नहीं होने पर आयुक्त द्वारा संबंधित के खिलाफ कार्यवाही भी की जावेगी। अवैध कब्जा से संबंधित निराकरण 7 दिवस के अंदर किया जाएगा। सर्व प्रथम वार्ड सुपरवाइजर के पास आयेगा। वार्ड सुपरवाइजर से निदान न होने पर यह जोन राजस्व अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। 14 दिन के अंदर वहां निदान न होने पर जोन आयुक्त के पास जानकारी चली जायेगी कि कार्यवाही हुआ कि नहीं। वहां से भी नहीं होने पर 21 दिन बाद आयुक्त के पास संबंधित शिकायत पहुंच जायेगी कि शिकायतकर्ता के कार्य का निराकरण हुआ कि नहीं। निराकरण करने के बाद स्थल का फोटोग्राफ भी डाला जायेगा। संबंधित व्यक्ति से संतुष्टि प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो सकेगा। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में एप को डाउनलोड करके आप अपने स्थानीय समस्या का समाधान या किसी भी प्रकार की शिकायत, अवैध निर्माण, पानी बह रहा है, कोई कचरा फेंक रहा है, कहीं पर गंदगी फैली है आदि का तुरन्त फोटो या वीडियो लेकर भेज सकते हैं। इसका निदान निगम के द्वारा शीघ्र किया जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा, अधीक्षण अभियंता दीपक जोशी, डी. के वर्मा, जोन आयुक्त येशा लहरे, सतीश यादव, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, लेखाधिकारी सी.बी.साहू, प्रोग्रामर सुश्री दिप्ती साहू, निगम के अभियंतागण आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



होटल अशोका बिरयानी गैरन्ड डिल्लन खादय सामग्री नाली में फेकने व

बासी खादय पदार्थ बेचने पर 36 हजार का अर्थदण्ड लगा

भिलाईनगर। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय नेहरू नगर चौक पर बने हुए के बस स्टाप के साफ-सफाई का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय नालियो से सड़े हुए खादय सामग्री का बदबु आ रही थी। पुछने पर पता चला कि बगल के होटल से आ रहा है। इसी का निरीक्षण करने आज निगम की स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा। होटल अशोका बिरयानी द्वारा नाली में जुठन, खादय पदार्थ, किचन में गंदगी, सड़े-गले सामग्री से खादय पदार्थ बनाकर बेचने, गुमशता लाईसेंस की समय अवधि आदि जांच करने पर कमियां पाई गई। मौके पर देखने पर वहां पर खाना बनाने में उपयोग सामग्री बहुत ही निम्न स्तर का व काटकर छोड़ा हुआ, किचन की साफ-सफाई में गंदगी, वाशिंग प्लेस में गंदगी, खादय सामग्री धोते समय बचे हुए पानी को सीधा नाली में फेकने आदि सभी कमी पाई गई। इसके कारण अशोका बिरयानी पर पंचनामा बनाकर 30000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। गैरन्ड डिल्लन होटल में कार्यवाही के दौरान वहां पर खाना बनाने के बाद साफ-सफाई, बर्तन धोते समय खादय सामग्री का बचा हुआ अवशेष नाली में डालने के कारण 5000 रुपये का अर्थदण्ड लिया गया। डिल्लन होटल के कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा बताया गया कि तेल का अवशेष, खादय सामग्री का कुछ भाग नाली में चला जाता है, इसलिए बदबु आती है। साफ-सफाई का स्तर ठीक था, वहां के मैनेजर ने बताया हम होटल को और अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं, भविष्य में किसी प्रकार का गंदगी नाली में नहीं जायेगा। बरफ फैक्ट्री संजय नगर में कबाड़ी दुकान के पास दुकान का अनुज्ञप्ति लाईसेंस ठीक नहीं पाये जाने के कारण 1000 रुपये का अर्थदण्ड लिया गया है। कार्यवाही के दौरान जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश दविवेदी, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, सुपरवाइजर संजय गायकवाड़, किस्टोफर, अमित, वैकट राव, रवि दहाटे आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर नगर निगम का अमला कमर कसा

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम 2024 आने वाली है। नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय स्वयं प्रत्येक दिन निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में जोन आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियंतागण, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, वार्ड के सुपरवाइजर आदि सब अपने-अपने कार्यों के प्रति मुस्तैद होकर कार्य कर रहे हैं। शुरू में आयुक्त स्वयं किसी भी जोन में बताकर जाते थे, अब आकस्मिक निरीक्षण करने किसी भी जोन के किसी भी वार्ड में पहुंच जाते हैं। वहां पर स्वयं निरीक्षण करते हैं संबंधित को बुलाकर जवाबदेही तय करते हैं। किसी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित को नोटिस भी दिया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान प्रमुख रूप से नागरिकों का फीड बैक बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाईन लिंक सिस्टम के माध्यम से करना है। घर-घर कचरा संग्रहण, कबाड़ से जुगाड़, सीएनडी वेस्ट का उपयोग, मार्केट एवं चौक चौराहों की सफाई, कचरो से पुनः उपयोग, कचरा में कमी लाना, पुराने कचरो को सही ढंग से सेग्रिगेट करना, कचरो से खाद बनाना, गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग देना, प्रमुख बाजारों में टाइम कचरा लेना, सुलभ शौचालय, उद्यान, तालाब, सड़क आदि की व्यवस्थित साफ-सफाई रखना, वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने क्षेत्र की स्वच्छता गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपना भरपूर सहयोग करें। आज इंदौर शहर स्वच्छता में नम्बर 1 पर है, क्योंकि वहां का प्रत्येक नागरिक सफाई में अपना योगदान देते हैं। कचरा इधर-उधर नहीं फेकते हैं, गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग कर देते हैं। अपना शहर भी अन्य शहरों की तरह साफ सुन्दर एवं स्वच्छता में अग्रणी रहे। जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, येशा लहरे, सतीश यादव, अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, वैरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक वही के सेमुवल, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, अनिल मिश्रा, बीरेन्द्र बंजारे, हेमंत मांडवी, सागर दुबे एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से मुस्तैद रहे निगम के जो भी संसाधन हैं, उसका उपयोग करते हुए कार्य को अच्छे से करना है।



नगर पालिक निगम भिलाई



गर्मी को देखते हुए वाटर एटीएम का संधारण कर शीघ्र शुरू किया जायेगा

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सभी जोन अंतर्गत वाटर एटीएम लगाया गया है। जो वाटर एटीएम चल रहे हैं, उसे और व्यवस्थित किया जायेगा। कुछ वाटर एटीएम में संधारण की आवश्यकता है, उसे एजेंसी के माध्यम से संधारित करवाया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए निगम का यह प्रयास होगा कि सभी को पीने के लिए साफ पानी मिले। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय स्वयं जाकर नगर निगम भिलाई क्षेत्र में संचालित हो रहे वाटर एटीएम का निरीक्षण करने गये। जोन क्रं. 5 में कुल 26 वाटर एटीएम संचालित है, जिसमें से 19 में पानी का सप्लाई चालू है और 7 वाटर एटीएम खराब है। आयुक्त स्वयं पानी पीकर सेक्टर 4 पोस्ट आफिस के पास वाटर एटीएम के पानी की शुद्धता की जांच किए। बीएसएनएल से रिटायर्ड रमेश सोनी ने बताया कि इस वाटर एटीएम का पानी बहुत मीठा है। इसलिए मैं यहीं से पानी ले जाता हूँ। निगम भिलाई का यह बहुत अच्छा प्रयास है, कि सबको पीने का शुद्ध मिनेरल वाटर 5 रुपये में 20 लीटर मिल रहा है। वाटर एटीएम संधारणकर्ता एजेंसी जे कल्याण ने बताया कि कई बार लोग पानी नहीं रहने पर वाटर एटीएम चालू कर देते हैं। इससे एयर ले लेता है, एयर निकालने में 2 से 3 घंटा लग जाता है। कभी-कभी मोटर भी जल जाता है, इसी के कारण बहुत सारे वाटर एटीएम में पानी नहीं आ रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पानी का नल, पैनेल एवं अन्य सामग्री भी चोरी कर लिया गया है। इसके कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। नगर निगम भिलाई द्वारा सभी वाटर एटीएम का एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। जिस एटीएम में कम खराबी है, उसे पहले चालू कर दिया जायेगा। जिसमें ज्यादा समस्या है उसको भी संधारित कर चालू कर दिया जायेगा।



नगर पालिक निगम भिलाई



सुरक्षा की दृष्टि से 9 एस.एल.आर.एम. सेंटर के 405 स्वच्छता दीदीयों को स्वच्छता किट वितरित किया गया

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 9 एस.एल.आर.एम. सेंटर संचालित हो रहे हैं। जहां पर भिलाई शहर से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग कर सेग्रेगेट किया जाता है। गीले कचरे से खाद बनाया जाता है और सूखे कचरे को छांट कर पुनः उपयोग के लिए स्वच्छता दीदीयों द्वारा बेच दिया जाता है। स्वच्छता दीदीयों को निगम द्वारा जीवन यापन के लिए एक निर्धारित मानदेय राशि भी प्रदान किया जाता है, उसके साथ ही छांट कर बेचे गये सामग्री से मिलने वाली राशि को स्वच्छता दीदीयों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। आज नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एस.एल.आर.एम. सेंटर जाकर स्वच्छता दीदीयां स्वस्थ रहे इसलिए उन्हें स्वच्छता किट वितरित किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से वर्दी (महिलाओं के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट सहित), मास्क, केनवास शूज, गमबूट, रबर ग्लब्स, टोपी, एपरन, मोजा, काटन ग्लब्स, रैनकोट, नेम बैज, पहचान पत्र आदि प्रदान किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने बताया कि समय-समय पर सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है। स्वच्छता किट प्रदान करने से उन्हें कार्य करने में बहुत सहूलियत होगा। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें सब पहन कर कार्य करने में अटपटा लगता है निकाल देते हैं। हम सब लोग उन्हें पहनने के लिए बीच-बीच में टोकते रहते हैं। स्वच्छता दीदीयों द्वारा सफाई के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 9 एस.एल.आर.एम. सेंटर नेहरू नगर, कोसीनगर, खम्हरिया, बटालियन, राधिका नगर, पीली मिट्टी, कुरुद, बैकुण्ठधाम, गौतम नगर खुर्सीपार में संचालित हो रहा है। स्वच्छता किट वितरण के दौरान कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, सहायक अभियंता प्रिया करसे, उपअभियंता चंदन निर्मलकर, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, जोन सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, पीआईयू अभिनव ठोकने, सुभम पाटनी आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



भेलवा तालाब में दीमक लगे पेड़ों पर चुना एवं पोटैशियम परमैंगनेट से पोताई किया जा रहा है

भिलाईनगर। नेहरू नगर भेलवा तालाब का प्रमुख आकर्षण वहां के पुराने कतारबद्व लगे हुए विभिन्न प्रकार के आकर्षक वृक्ष हैं, जो सभी के मनो को मोह लेते हैं। नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के साथ भेलवा तालाब संधारण से संबंधित चर्चा के लिए गये हुए थे। वहीं पर योगा, प्रणायाम करने वाले शैलेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, कवित्री संध्या श्रीवास्तव, प्रदीप डालमिया, डां ललित पोपट ने शिकायत की पेड़ों के ऊपर दीमक लग रहे हैं। जिससे कुछ ही दिनों में अच्छे खासे हरे-भरे पेड़ सूख जायेगे, दीमक बहुत खतरनाक होते हैं, सब पेड़ों को नुकसान पहुंचायेगें, समय पर इसका निदान करना जरूरी है।

आयुक्त पाण्डेय ने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को वहीं से फोन करके तुरन्त इसका निदान करने के लिए आदेशित किये। आदेशानुसार दीमक लगे पेड़ों के ऊपर चुना एवं पोटैशियम परमैंगनेट से पोताई की जा रही है, इससे दीमक की समस्या का समाधान हो जायेगा। साथ में यह भी ध्यान दिया जायेगा कि पोताई माह में 2 बार हो, जिससे दीमक लगे पेड़ों से दीमक निकलकर दूसरे पेड़ों तक जाकर नुकसान न पहुंचाने पावें। सभी पेड़ों को पानी भी समय अनुसार डाला जा रहा है, जिससे पेड़ हरे-भरे रहे। वहीं पर पेड़ों के पत्तों को संग्रहित कर उससे कम्पोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है। जिससे वहीं पर स्थित पेड़ पौधों को खाद भी मिल सके।

इस दौरान उपअभियंता बसंत साहू, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



महापौर परिषद द्वारा शहर के विकास के लिए विभिन्न कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में ली गई। बैठक में विभिन्न एजेण्डा को विस्तृत चर्चा हेतु विचारार्थ रखा गया था। लोगों के हितों को देखते हुए परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत जोन 01 नेहरू नगर अंतर्गत भिलाई नगर रेल्वे स्टेशन के सुपेला अंडरब्रिज तक रेल्वे लाईन के समानांतर निर्माण, बाँक्स कल्वर्ट एवं विद्युतिकरण कार्य, भिलाई नगर रेल्वे स्टेशन से नेहरू नगर अंडरब्रिज तक रेल्वे लाईन के समानांतर एवं शहरी गौठान के पश्चिम में मार्ग निर्माण एवं विद्युतिकरण कार्य, नेहरू नगर अंतर्गत 66 एवं 77 एम.एल.डी. डब्लू.टी.पी. के वेस्ट वाटर से तालाब भरने हेतु खम्हरिया माईनर नहर का आर.सी.सी.कच्हर सहित लाईनिंग कार्य, कोसानगर रेल्वे स्टेशन शहरी गौठान के पश्चिम में नाला चैनलाईजेशन कार्य, वार्ड क्रं. 60 सेक्टर 05 सड़क 32 से सड़क 37 एवं एस.पी.ए. की नाली निर्माण कार्य, जोन 03 अंतर्गत वार्ड 56 भिलाई स्कूल ग्राउण्ड मैदान में ओपन जिम एवं 15 बी के समीप बैडमिंटन कोर्ट निर्माण कार्य का स्थल परिवर्तन कर वार्ड 56 में सड़क 15 एवं 15 ए के मध्य में निर्माण कार्य। पूर्व में महापौर परिषद के अनुमति के प्रत्याशा में प्रस्तावित खेल परिसर पर बिन्दुवार चर्चा हुई। उक्त स्थल का ड्राइंग, डिजाइन एवं खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, कार्यपालन अभियंता अखिलेश चंद्राकर, उपअभियंता बसंत साहू द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया। जिसमें महापौर पाल, एमआईसी के सदस्यगणों एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में खेल परिसर में विभिन्न खेलों के लिए कार्ययोजना का विस्तृत व्याख्या किया गया। कौन-कौन से स्पोर्ट्स इसमें शामिल होंगे। खिलाड़ियों को किस प्रकार की सुविधा मिलेगी, इसको संचालित कौन करेगा। निर्माण की समय अवधि क्या रहेगा आदि बिन्दुओं पर चर्चा उपरांत सदस्यगण अपनी सुझाव एवं सहमति प्रदान किए। खेल परिसर में प्रमुख खेल जो प्रस्तावित हैं जैसे- हार्स राइडिंग ट्रैक निर्माण कार्य, सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एवं प्राकृतिक फुटबाल मैदान निर्माण कार्य, स्वीमिंग पूल, स्केटिंग, रनिंग ट्रैक, 1500 लोगों के बैठने लायक आडिटोरियम, पार्किंग, चेजिंग रूम, स्पोर्ट्स दुकान आदि बनाये जायेंगे। इसमें अनुभवि खिलाड़ियों का भी मार्ग दर्शन लिया जायेगा। जिससे भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के प्रतिसप्रधा आयोजित हो सके। प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया, इसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि खेल परिसर के निर्माण में अनुभवि एजेंसी को नियुक्त किया जाए। जो इसके पूर्व इस प्रकार के खेल परिसरों का निर्माण किया हो। इसमें यह भी अनुबंध होगा कि 5 वर्ष के लिए रखरखाव एजेंसी का होगा। उसकी 5 प्रतिशत धरोहर राशि भी निगम में जमा रहेगा। समय अवधि में कार्य को पूर्ण कराया जावेगा। महापौर नीरज पाल ने कहा इस सुविधा से हमारे क्षेत्र से अच्छे खिलाड़ी निकलेगे, जो राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने राज्य का नाम रौशन करेंगे। आयुक्त पाण्डेय ने सभी सदस्यों को बताया कि एक स्थल पर सभी खेलों का होना, इस क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धी होगी। महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, केशव चैबे, साकेत चंद्राकर, लालचंद वर्मा, आदित्य सिंह, चंद्रशेखर गंवई, श्रीमती नेहा साहू, मालती ठाकुर, निगम के सचिव/उपायुक्त नरेन्द्र बंजारे, जोन आयुक्त येशा लहरे, सतीश यादव, कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, रवि सिन्हा, संजय अग्रवाल, अरविंद शर्मा, विनिता वर्मा, लेखाधिकारी चन्द्रभूषण साहू, स्थापना प्रभारी श्रीमती रीता चतुर्वेदी, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, देवराज राजपूत, आदि उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



सड़को पर लगे बेतरतीब अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं विज्ञापन को हटाने का काम जारी

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सड़को को साफ-सुथरा आकर्षक बनाया जा रहा है। इसके लिए सड़को के मध्य डिवाइडर में विद्युत डिजाइनर पोल लगाया जा रहा है। इससे नगर एवं सड़को की सुन्दरता बढ़ रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं निजी लोगो द्वारा नगर निगम भिलाई क्षेत्र में कहीं पर भी अपने नाम का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन लगा दे रहे हैं, जो पूर्ण रूप से अवैधानिक है। यह दुर्घटना का कारण भी बन रहा है। हवा चलने के कारण या बंधाई कमजोर होने के कारण निचे गिर जाता है। जिससे आम नागरिको को चलने में बहुत परेशानी हो रही है। नगर निगम अधिनियम 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निगम क्षेत्र में कहीं भी अपना बैनर, पोस्टर लगाने से पहले राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नगर निगम के सभी क्षेत्रों से अवैध रूप से लगाये गये बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन को हटाया जा रहा है। गौरव पथ, सुपेला घड़ी चैंक से गदा चैंक, कुम्हारी से लेकर नेहरू नगर गुरुद्वारा चैंक, नेशनल हाईवे, मोर्या चंद्रा टाकिज से श्रीराम मार्केट होते हुए गदा चैंक, गदा चैंक से अवंती बाई चैंक, अवंती बाई चैंक से इंदु आईटीआई होते हुए कुरुद चैंक, ओम शांति ओम चैंक से कैलाश नगर कुरुद आदि सभी जगहों से धीरे-धीरे कर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन को हटाने की कार्यवाही जारी है। जो स्थल पर जाकर बैनर पोस्टर हटवाने की कार्यवाही करेंगे। नगर निगम भिलाई सभी राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं निजी लोगो से अपील करती है, कि निगम भिलाई के नियमों का पालन करें। बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन न लगावें। यदि कोई भी व्यक्ति निगम के राजस्व विभाग के बिना अनुमति बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन लगाते हुए पकड़े जाये तो नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की जावेगी। अपना भिलाई नगर साफ सुथरा स्वच्छ सुंदर दिखे इसमें सबको योगदान करने की आवश्यकता है।



नगर पालिक निगम भिलाई



3 दिन और शेष इसके बाद जमा करने पर 18 प्रतिशत अधिभार ₹1000 पेनल्टी से बचने के लिए भारी उत्साह लगेगा

भिलाईनगर/भिलाई निगम क्षेत्र के करदाताओं को बिना अधिभार एवं पेनल्टी के के टैक्स पटाने 3 दिन शेष है। 3 दिन पश्चात सभी करदाताओं को वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर जमा करने पर संपत्तिकर राशि पर 18 प्रतिशत अधिभार एवं 1000 रुपये पेनल्टी की राशि जमा करना पड़ेगा। संपत्तिकर, भूभाटक भूपटक जल कर जमा करने के लिए लोग में भारी उत्साह है। नगर निगम में भी उनके बैठने के लिए उनको पानी पीने के लिए उनके सहयोग के लिए सब व्यवस्था की गई है। सबके लिए अभी अच्छा अवसर है, संपत्तिकर जमा करने अधिभार एवं पेनल्टी से बचने का।

नगर निगम भिलाई में नागरिकों की सुविधा के लिए मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय में संपत्तिकर जमा करने के लिए काउंटर खुले हुए हैं। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को बैठाया गया है। जो स्व: विवरणीय भरने में सहयोग कर रहे हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी संपत्तिकर दाताओं से अनुरोध किये हैं कि शीघ्र से शीघ्र अपना बकाया संपत्तिकर की राशि निगम कोष में जमा कर एक आदर्श नागरिक बने। संपत्तिकर के माध्यम से ही नगर निगम भिलाई जनता से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती है। गौरतलब है कि 31 मार्च के पूर्व नागरिक अपने आवासीय, व्यावसायिक भवनों के संपत्तिकर सहित निगम के अन्य देय कर राशि को जमा करके 1 अप्रैल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार तथा 1000 हजार रुपये पेनल्टी शुल्क की राशि से बच सकते हैं। नागरिकों के सुविधा के लिए घर बैठे-बैठे आनलाईन संपत्तिकर जमा करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही वेबसाइट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटर सुरक्षित रख सकते हैं।

Editorial Board

श्री राजीव कुमार पाण्डेय
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री अजय कुमार शुक्ला
प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

